अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(राजस्थान सरकार का स्वायत्तशासी संस्था)

रा.रा.मार्ग नं.–8 बड़लिया चौराहा, नारेली मंदिर के पास,
अजमेर, 305025

Website: www.ecajmer.ac.in
E-mail : principal@ecajmer.ac.in
Telephone : 0145-2971024

क्रमांकः अमअ/लेखा./2020/1222 दिनांक : 8-2-2020

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय में सातवें वेतनमान जारी होने के फलस्वरूप महाविद्यालय कोष पर वित्तीय भार बढ़ा है अतः मितव्ययतापूर्ण व्यवहार की दृष्टि से इस क्रम में महाविद्यालय मद के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं : –

1. विभिन्न यात्राओं हेतु स्वयं के वाहन अथवा प्राईवेट टैक्सी से यात्रा की अनुमति देय नहीं होगी। इस हेतु सार्वजनिक संसाधनों यथा रेल/बस का नियमानुसार उपयोग किया जाए।
2. तीन या इससे अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों के एक साथ यात्रा करने की स्थिति में मितव्ययतापूर्ण होने पर प्राचार्य की पूर्वानुमति से ही स्वयं/प्राईवेट टैक्सी से यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है।
3. कार्य की महत्ता एवं अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही राजकीय यात्राऐं अनुज्ञेय होंगी। यात्राऐं प्राचार्य की पूर्वानुमति लेकर ही की जावें। कार्योपरान्त यात्रा की स्वीकृति विशेष परिस्थितियों में ही दी जा सकेगी।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त महाविद्यालय पर वृद्धि हो रहे निरन्तर वित्तीय भार एवं सीमित संसाधनों को देखते हुए समस्त कर्मचारियों / अधिकारियों से मितव्ययतापूर्ण संव्यवहार की अपेक्षा में निम्नलिखित निर्देश दिए जाते है : –

   (अ) समस्त विभागाध्यक्ष अपने विभागों में उपलब्ध मानवीय संसाधनों की पुनः समीक्षा करें एवं अनुबंधित कार्मिकों को बहुत जरूरी होने पर ही रखा जाए।

   (ब) अति आवश्यक क्रय एवं कार्य आदि के प्रस्ताव ही प्राचार्य कार्यालय/लेखाशाखा में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें।

   (स) इसके अतिरिक्त बिजली, पानी, स्टेशनरी, विभागीय व्यय व अन्य व्यय जिनकी बचत की जा सकती हैं, में भी पूर्ण मितव्ययता का ध्यान रखा जावे।

प्राचार्य

प्रतिलिपि (वेबसाईट द्वारा) :–

1. प्राचार्य कार्यालय
2. समस्त विभागाध्यक्ष/अनुभाग अधिकारी
3. संस्थापन शाखा
4. लेखाशाखा
5. रक्षक पत्रावली

उप कुलसचिव (वित्त)

Scanned by CamScanner